न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा-पत्र

उनवान कन्हैयालाल बनाम ओम शर्मा

किस्म मुकदमा रेस्टोरेशन प्रा. पत्र अपील संख्या 2025/174

अभिभाषक अपीलान्ट श्री अखिलेश नागर अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
19.1.26	पत्रावली रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु पेश हुई है। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित। उक्त पत्रावली अभिभाषक अपीलांट व अपीलांटगण के अनुपस्थित रहने के कारण इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.04.2025 से अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गयी। हमने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी। हमने अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये जाते है। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र नम्बर से कम किया जाकर मूल पत्रावली के साथ सलंग्न किया जावे। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी एवं भू-प्रबंध अधिकारी, कोटा

कन्हैयालाल आत्मज श्री बाबूलाल, आयु 36 वर्ष, जाति धाकड़, निवासी ग्राम राई, तहसील छीपाबड़ौद, जिला बारां (राजस्थान)

– अपीलांट

बनाम

1. ओम शर्मा आत्मज श्री सूरजमल, आयु 40 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम दीगोद, तहसील दीगोद, जिला कोटा (राजस्थान)
2. सत्यनारायण आत्मज श्री भंवरलाल, आयु 41 वर्ष, जाति धाकड़, निवासी ग्राम छीपाबड़ौद, तहसील छीपाबड़ौद, जिला बारां (राजस्थान)

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना–पत्र वास्ते अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुनवाई किये जाने

मान्यवर,

अपीलांट निम्न निवेदन करता है –

1. यह कि उपरोक्त उनवान की अपील माननीय न्यायालय में लम्बित रही है। दिनांक 28.04.2025 को अपील अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज कर पत्रावली दाखिल दफ्तर कर दी गई, जिसकी कोई जानकारी अपीलांट को उसके अधिवक्ता महोदय द्वारा प्रदान नहीं की गई। चूंकि अपीलांट के अधिवक्ता महोदय के पिता जी का इस दौरान स्वर्गवास हो जाने से वह अपने पैतृक गांव में माह अप्रेल व मई, 2025 में रहे और इस दौरान गांव में मोबाईल नेववर्क नहीं होने से अपीलांट का अपने अधिवक्ता महोदय से सम्पर्क नहीं हो सका। उसके बाद माह जून, 2025 में ग्रीष्मकालीन अवकाश होने से अपीलांट का उसके अधिवक्ता महोदय से सम्पर्क नहीं हो सका और फिर उसके बाद माह जुलाई, 2025 के प्रथम सप्ताह में अपीलांट ने अपने अधिवक्ता महोदय से सम्पर्क किया तो उन्होनें बताया कि अपीलांट की अपील दिनांक 28.04.2025 को अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज हो गई है। इस प्रकार अपीलांट व उसके अधिवक्ता का न्यायालय में उपस्थित नहीं होने का वास्तविक एवं युक्तियुक्त सद्भाविक कारण रहा है। इन तत्परिस्थितियों में अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट का प्रार्थना–पत्र पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुनवाई किये जाने की कृपा करे।

प्रार्थी / अपीलांट

दिनांक :

कन्हैयालाल आत्मज श्री बाबूलाल, आयु 36 वर्ष, जाति धाकड़, निवासी ग्राम राई, तहसील छीपाबड़ौद, जिला बारां (राजस्थान)

L.N. / App. - VII 2024 / 457